

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प कुरुज

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कुरुज व भू.अ.नि. कुरुज की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम माण्डपिया खोडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2017 में खाता संख्या 159 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>माण्डपिया खोडा</u>	159	<u>जगदीश पुत्र मे रत्नलाल जाते जाट</u>	<u>जगदीश चन्ड पुत्र मे रत्नलाल जाते जाट</u>

रेलमगरा
पीठारीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा

क्रमांक:- 208

दिनांक :- 4 OCT 2025

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

रेलमगरा
पीठारीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा सहायक कलक्टर,